

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 02, मंगलवार, श॥के 1947- दिसम्बर 23, 2025 Pausa 02, Tuesday, Saka 1947- December 23, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, नवम्बर 12, 2025

संख्या प. 2(15)वन/2025 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये हैं।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबन्द किया जाना आवश्यक है। परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचाने की आशंका है।

इसीलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा व्यक्तिगत अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबन्द करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जावेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11, (1) 12,13,14,17,18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वनभूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी। और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के ये वृक्ष जो संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं,

राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
बीजो जाँय,
विशिष्ट शासन सचिव, (वन)।

प्रथम अनुसूची								
क्र.सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण			
					नाम ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल है० में	भूमि किस्म
1.	चांदा का तालाब ए	तालेडा	बून्दी	उत्तर:- राजस्व भूमि ग्राम चांदा का तालाब दक्षिण:- वन भूमि वनखण्ड गुंवार पूर्व:- राजस्व भूमि ग्राम चांदा का तालाब पश्चिम:- राजस्व भूमि चांदा का तालाब	चांदा का तालाब	373/35 7	5.3264 है०	बंजड
					योग	1 किता	5.3264	

हस्ताक्षर

मनीष कुमार शर्मा,
क्षेत्रीय वन अधिकारी
डाबी।

हस्ताक्षर

देवेन्द्र सिंह भाटी,
उप वन संरक्षक,
बून्दी।

द्वितीय अनुसूची

पेड़ों की सूची

वनखण्ड:- चांदा का तालाब ए

क्र.सं	बोटैनिकल नाम	हिन्दी नाम
1.	<i>Anogeissus Pendula</i>	धोंक
2.	<i>Prosopis juliflora</i>	विलायती बबूल
3.	<i>Ziziphus maritima</i>	बैर

हस्ताक्षर

मनीष कुमार शर्मा,
क्षेत्रीय वन अधिकारी
डाबी।

हस्ताक्षर

देवेन्द्र सिंह भाटी,
उप वन संरक्षक,
बून्दी।

प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र
(जो लागू नहीं होता है, उसे काट दे)

वनखण्ड - चांदा का तालाब ए

रेंज - डाबी

वन मण्डल - बून्दी

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण बंजड है, जिसे विज्ञप्ति के कैलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा संपूर्ण क्षेत्र में विकास कार्य कराना है। उक्त क्षेत्र को आरक्षित/रक्षित वन घोषित किया जाना है।
3. वर्तमान में कोई विकास कार्य नहीं करवाये गये हैं। इसमें कोई खनन कार्य नहीं हुये हैं। भविष्य में भी विकास कार्य कराया जाना है।
4. भूमि पर वृक्षों का अधिकांश घनत्व कुछ क्षेत्रों में 0.1 है तथा कुछ क्षेत्रों में नगण्य है।
5. समीपवर्ती क्षेत्र में वन भूमि है तथा चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कैलम संख्या 5 में कर दिया गया है।
6. वनखण्ड के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न हैं, एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को नक्शे में इंगित हैं। प्रस्तावित क्षेत्र को जी0 टी0 शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षेत्र की विज्ञप्ति के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजे गए हैं। अब उल्लेखित वन क्षेत्र के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट के प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिससे इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. प्रस्तावित भूमि वनखण्ड चांदा का तालाब ए वन संरक्षण अधिनियम के तहत लक्ष्मीपुरा-डोरा-डाबी-रानी जी का गुढा सडक के एवज में प्राप्त हुई है।
9. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर

मनीष कुमार शर्मा,
क्षेत्रीय वन अधिकारी
डाबी।

हस्ताक्षर

देवेन्द्र सिंह भाटी,
उप वन संरक्षक,
बून्दी।